



2026:AHC:22977

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1382 वर्ष 2026

अन्व
.....याचिकाकर्ता

गौतम

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	एवं	2	अन्य
.....प्रतिवादी					

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: फैजुर रहमान

प्रतिवादी के अधिवक्ता
(सी.एस.सी.)

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री फैजुर रहमान और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग हेतु दायर की गई है:

i) न्याय के हित में, प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वह प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत पत्र दिनांक 06.06.2025 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करे।

ii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का खर्च प्रदान करें।"

3. इस न्यायालय ने 02.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए रिट याचिका को स्वीकार किया था:

"रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, इस मामले को रिट-ए संख्या 16755/2021 के रिकॉर्ड के साथ कल यानी 03.02.2026 को नवीन मामले के रूप में सूचीबद्ध करें।"

4. आज निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुसार रिट याचिका संख्या 16755/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2021 के अनुपालन में रिट याचिकाकर्ता के दावे को निदेशक, यूनानी सेवायें, उ.प्र., लखनऊ द्वारा 17.03.2023 को खारिज कर दिया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता नवीन रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश को चुनौती देने हेतु वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।
6. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
7. रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की जाती है।
8. निर्देशों की एक प्रति रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को तामील कराई जाए।

3 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"